रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11102023-249327
CG-DL-E-11102023-249327

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4251] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 11, 2023/आश्विन 19, 1945
No. 4251] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 11, 2023/ASVINA 19, 1945

IndiaCode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4422(अ). — केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और (xiv) तथा उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में, संख्यांक का.आ. 2483 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन इसे अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2483 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2016 में संशोधन करने के लिए नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 2483 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2016 में प्रकाशित तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"5. पारिस्थितिक-संवेदी जोन मानीटरी समिति.- (1) केन्द्रीय सरकार, पारिस्थितिक-संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

क्र.सं.	**मानीटरी समिति का गठन**	**पद**
(i)	मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पंजाब सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	जिला क्लेक्टर, पटियाला	सदस्य, पदेन;
(iii)	ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग के प्रतिनिधि, पंजाब सरकार	सदस्य, पदेन;
(iv)	क्षेत्रीय अधिकारी, पंजाब राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य, पदेन;
(v)	पंजाब सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट (पर्यावरण जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठनों का एक प्रतिनिधि।	सदस्य;
(vi)	पंजाब सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ।	सदस्य;
(vii)	ग्रामीण विकास और आवास विभाग का प्रतिनिधि, पंजाब सरकार	सदस्य, पदेन;
(viii)	कृषि विभाग का प्रतिनिधि, पंजाब सरकार	सदस्य, पदेन;
(ix)	राज्य जैव-विविधता बोर्ड का प्रतिनिधि, पंजाब सरकार	सदस्य, पदेन;
(x)	प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र का प्रभारी)	सदस्य-सचिव, पदेन।

2. उप-पैरा (1) के खंड (v) और (vi) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों का कार्यकाल ऐसे नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा।"

[फा. सं. 25/26/2014-ईएसजेड-आरई]

डॉ. एस. करकेट्टा, वैज्ञानिक 'जी'

***टिप्पण:** मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2483 (अ), तारीख 21 जुलाई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2023

S.O. 4422(E).—Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clause (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued notification in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2483 (E), dated the 21st July, 2016;

And Whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

And Whereas sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 2483 (E), dated the 21st July, 2016;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), number S.O. 2483 (E), dated the 21st July, 2016, namely:-

In the said notification, for paragraph 5, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"5. **Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.**- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of the following, namely:-

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Chief Conservator of Forests (Wildlife), Government of Punjab	Chairman, Ex-officio;
(ii)	District Collector, Patiala	Member, Ex-officio;
(iii)	Representative of Department of Rural Development and Panchayat, Government of Punjab	Member, Ex-officio;
(iv)	Regional Officer, Punjab State Pollution Control Board	Member, Ex-officio;
(v)	One representative of non-Governmental Organisation (Working in the field of environment including heritage Conservation) nominated by the Government of Punjab	Member;
(vi)	An expert in the area of ecology and environment nominated by the Government of Punjab	Member;
(vii)	Representative of Department of Rural Development and Housing Department, Government of Punjab	Member, Ex-officio;
(viii)	Representative of Department of Agricultural, Government of Punjab	Member, Ex-officio;
(ix)	Representative of State Bio-Diversity Board	Member, Ex-officio;
(x)	Divisional Forest Officer (In-charge of PA)	Member-Secretary, Ex-officio.

2. The term of members nominated under clauses (v) and (vi) of sub-paragraph (1) shall be three years from the date of such nomination."

[F. No. 25/26/2014-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist 'G'

***Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2483 (E), dated the 21st July, 2016.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA